

# कार्यालय नगर निगम, कोटा

प्रपत्र-2(ख)

## मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना वित्तीय स्वीकृति आदेश (नगर निकाय के उपयोग हेतु)

क्रमांक.....

दिनांक.....

बीपीएल सेन्सस-2003 में से राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटित भौतिक लक्ष्यों एवं कार्यालय के पत्र क्रमांक:- 15867-75

दिनांक:- 27/12/2012 से आवास निर्माण हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में निम्नानुसार लाभार्थियों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त की राशि हस्तान्तरण की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर एतद् द्वारा प्रदान की जारी है।

1. आवेदक को अपना आवेदन पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा।
2. बैंक में खाता खुलवाकर बैंक पास बुक की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
3. भूमि जिसमें आवास निर्माण/उन्नयन कराया जायेगा, उसके पट्टे की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
4. भवन निर्माण उन्नयन हेतु राशि 50000 रुपये तथा शोचालय निर्माण के लिए पृथक से 5000रुपये की राशि देय होगी।
5. आवेदन पत्र का प्रपत्र साथ में संलग्न है।
6. पट्टा नहीं होने की स्थिति में आवास निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक:- 15867-75 के अनुसार निम्न पूर्ति करनी होगी।
7. मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल आवास योजना, एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम (IHSDP) राजस्थान विशेष आवास योजना शहरी गरीबों को आधारभूत सेवा कार्यक्रम (BSDP) के अंतर्गत पट्टे की अनिवार्यता नहीं होगी बशर्ते लाभान्वित प्रतिबंधित भूमि यथा वन क्षेत्र, ढूब क्षेत्र, नदी-नाले, आगोर, देवस्थान, रक्षा विभाग आदि की भूमि पर निवास नहीं कर रहा है। पट्टे के अभाव में लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से पास व्यक्ति/ परिवार के कब्जे के प्रमाण स्वरूप निम्नांकित दस्तावेज ग्राह्य मान माने जायेगे।

- (i) मतदाता सूची में नाम।
- (ii) राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।
- (iii) विजली, पानी टेलीफोन आदि के बिल।
- (iv) सक्षम प्राधिकारी से जारी पुराना पट्टा/विक्रय पत्र अथवा सत्यापित साइड प्लान जिसमें लाभान्वित का नाम एवं कब्जे शुदा भूमि का विवरण अंकित हो।
- (v) किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी का निर्णय।
- (vi) कब्जेधारी को पूर्व में जारी कोई नोटिस/पत्र आदि की प्रति।

क्र.सं.	जोन	वार्ड संख्या	नयी वार्ड संख्या	लाभार्थी का नाम मय पिता/पति एवं पता	चयनित क्रमांक	वर्ष	बैंक का नाम मय शाखा	खाता सं.	स्वीकृत राशि	पूर्व में जारी की गई कुल राशि	हस्तान्तरित की जाने वाली प्रथम किश्त की राशि			विशेष विवरण
											योजनान्तर्गत राशि	राज्य सरकार की अति सहायता	योग	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रामपुरा	27	2	महेन्द्र सकीम चन्द्र कोटा	हनुमान गढ़ी कुन्हाड़ी	11	O.B.C			55,000	-	-	-	25,000

<b>2</b>	रामपुरा	27	2	धनपाल	प्रभूलाल	230 माताजी रोड तेजाजी के मंदिर के पास कुन्हाडी कोटा	40	S.C			55,000	—	—	—	25,000	
<b>3</b>	रामपुरा	27	2	चन्द्रमोहन	प्रभूलाल	231 माताजी रोड तेजाजी के मंदिर के पास कुन्हाडी कोटा	41	S.C			55,000	—	—	—	25,000	
<b>4</b>	रामपुरा	27	2	महावीर मेघवाल	प्रभूलाल	233 माताजी रोड तेजाजी के मंदिर के पास कुन्हाडी कोटा	42	S.C			55,000	—	—	—	25,000	
<b>5</b>	रामपुरा	27	2	गुरुमुख सिंह	बलवन्त सिंह	249 बालापुरा कोटा	45	Gen.			55,000	—	—	—	25,000	
<b>6</b>	रामपुरा	27	2	गोपी बाई	स्व. मदनलाल	267 माताजी रोड तेजाजी के मंदिर के पास कुन्हाडी कोटा	48	S.T			55,000	—	—	—	25,000	
<b>7</b>	रामपुरा	27	2	झूड़ सिंह	चतीर सिंह	222 बालापुरा कोटा	50	Gen.			55,000	—	—	—	25,000	
<b>8</b>	रामपुरा	27	2	सूरजमल	भेरुलाल	हनुमानगढ़ी कुन्हाडी कोटा	53	S.C			55,000	—	—	—	25,000	
<b>9</b>	रामपुरा	27	2	पप्पू सिंह	वजीर सिंह	320 कुन्हाडी बालापुरा कोटा	102	Gen.			55,000	—	—	—	25,000	
<b>10</b>	रामपुरा	27	2	भुली बाई	स्व. श्रीराम	78 कुन्हाडी कोटा	173	S.C			55,000	—	—	—	25,000	
<b>11</b>	रामपुरा	27	2	बाबूलाल	गापीलाल	89 कुन्हाडी माता जी रोड कोटा	176	S.C			55,000	—	—	—	25,000	
<b>12</b>	रामपुरा	27	2	शांती बाई	स्व. किशन	हनुमानगढ़ी कुन्हाडी कोटा	353	S.C			55,000	—	—	—	25,000	
<b>13</b>	रामपुरा	27	2	मुकुट विहारी	रामकल्याण	हनुमानगढ़ी कुन्हाडी कोटा	371	S.T			55,000	—	—	—	25,000	
<b>कुल</b>											715,000				325,000	

S.C	7	S.T	2	O.B.C	1	Gen	3	अल्पसंख्यक	0
-----	---	-----	---	-------	---	-----	---	------------	---

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**  
नगर निगम, कोटा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री..... माननीय सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र.....।
2. श्री..... माननीय सांसद महोदय राज्यसभा.....।
3. माननीय विधायक महोदय विधानसंभा क्षेत्र.....।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निकाय.....।
5. पार्षद श्री..... वार्ड नं.....।
6. प्रभारी अधिकारी (मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना) राजस्थान आवास विकास एवं इन्फारस्ट्रक्चर लिमिटेड ( RAVIL ) जयपुर।
7. उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग.....।
8. आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....।
9. रक्षित पत्रावली ।

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**  
**नगर निगम, कोटा**